श्री तारिक अनवर: सर, इसके लिए एक संसदीय समिति का गठन कर दें और वह निर्णय करके आपको इस बात की जानकारी दे कि पिछले बीस सालों में क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। वाराणसी जैसी जगह में भी पॉल्यूशन वैसे का वैसे ही है। कुछ भी नहीं हुआ है ...(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Please take you seats ...*(Interruptions)*... Let him reply. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, इनको बताइए कि गंगा नदी नहीं है, गंगा मैय्या है, गंगा मां है, नदी नहीं है ...(**व्यवधान**) यह नदी नहीं है। ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने जो फाइंडिंग्स दी थीं उनको पढ़कर सुनाया था। उसी रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया था कि टेम्स 245 किलोमीटर लम्बी है, राइन 1300 किलोमीटर लम्बी है ओर दनुबे 2800 किलोमीटर लम्बी है और उनमें जो समय लगा ...(**व्यवधान**) सुनिए तो सही, हम जवाब दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक बात सुन लीजिए। अधिकांश मेम्बर्स इस मामले में इच्छुक हैं कि इसकी पूरी जानकारी मिले, जो इस समय आप दे नहीं सकते।...(**व्यवधान**)

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मैं दे रहा हूं। ...(**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY: There should be Half-an-Hour discussion on this.

श्री सभापति: हॉफ एन-ऑवर डिस्कसन भी रख लेंगे। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि इस सारे विषय में एक नोट बनाकर मेंबर्स को सर्क्यूलेट कर दीजिए।...(**व्यवधान**) आप एक काम करिए, सारा नोट बनाकर भेज दीजिए।

†505. [*The questioner (Shri Bhagwati Singh) was absent for answer vide page* 29.]

गेहूं के लिए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की घोषणा

*506. **श्री मोतीलाल वोरा:** ††
सुश्री सुशीला तिरिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है;

††सभा में यह प्रश्न श्री मोतीलाल वोरा द्वारा पूछा गया।

(ख) क्या सरकार ने समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50/- रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिये जाने की घोषणा की है;

(ग) क्या 50/- रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं स्थानीय स्टाकिस्टों द्वारा खरीदारी किए जाने से खुदरा बाजार में गेहूं के दाम बढ़ गए हैं;

(घ) क्या यह बोनस दिए जाने से मंहगाई बढ़ी है; और

(ङ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं स्थानीय स्टाकिस्टों द्वारा भारी मात्रा में गेहूं की खरीद किये जाने से क्या सरकार को बफर स्टाक के लिए गेहूं मिल पाएगा?

उपभेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) रबी विपणन मौसम 2006-07 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूलय 650 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ख) जी, हां। सरकार ने 21 अप्रैल, 2006 को रबी विपणन मौसम 2006-07 में वसूल किए जाने वाले गेहूं के लिए 650 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर 50 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस देने की घोषणा की है।

(ग) और (घ) पश्चिम जोन में 21 अप्रैल, 2006 के बाद खुदरा मूल्यों में वृद्धि की गयी है। इसी के साथ पटना, चेन्नै और त्रिवेन्द्रम में गेहूं के खुदरा मूल्य गिर गए हैं।

(ङ) रबी विपणन मौसम 2005-06 में हुई गेहूं की 147.87 लाख टन की वसूली की तुलना में रबी विपणन मौसम 2006-07 में 95 लाख टन गेहूं की वसूली होने की संभावना है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याण योजनाओं और बफर स्टाक रखने संबंधी सामान्य अपेक्षाओं से कम है। बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित प्राइवेट व्यापारियों द्वारा अधिक खरीदारी करने से इस वर्ष गेहूं की कम वसूली हुई है।

Announcement of Bonus in addition to support price for wheat

*†506. SHRI MOTILAL VORA:††
MS. SUSHILA TIRIYA:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Motilal Vora.

(a) the support price of wheat fixed by Government for 2006-07;

(b) whether Government have also announced to give a bonus of Rs. 50/- per quintal in addition to the support price;

(c) whether prices of wheat in the retail market have gone high due to purchases made by the MNCs and local stockists as per announcement of the bonus of Rs. 50/- per quintal;

(d) whether the given bonus has caused a rise in the prices; and

(e) whether Government would succeed in getting wheat for buffer stock after the large scale purchase of wheat by MNCs and local stockists?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Minimum Support Price (MSP) for wheat for the Rabi Marketing Season (RMS) 2006-07 is Rs. 650 per quintal.

(b) Yes, Sir. The Government has announced on 21st April, 2006 an incentive bonus of Rs. 50 per quintal over the MSP of Rs. 650 per quintal for wheat to be procured in RMS 2006-07.

(c) and (d) There has ben an increase in the retail prices in West Zone after 21st April, 2006. At the same time retail wheat prices have come down at Patna, Chennai and Trivandrum.

(e) Wheat procurement is likely to be 95 lakh tones in RMS 2006-07, compared to 147.87 lakh tones procured in RMS 2005-06, which is lower than the normal requirement for the TPDS, welfare scheme and buffer stocking. large purchases by private traders, including MNCs has been a contributory factor for the low level of wheat procurement this year.

श्री मोती लाल वोरा: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रबी विपणन मौसम में आपने गेहूं का समर्थन मूल्य 650 रुपए प्रति क्विंटल किया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसे जवाब में यह कहा है कि 2005-2006 में 147.87 लाख टन की वसूली की तुलना में अभी 2006-2007 में केवल 95 लाख टन की वसूली होने की संभावना है। माननीय सभापति महोदय, इसका मुख्य कारण है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

और बड़े व्यापारियों ने गेहूं की खरीद बड़े पैमाने पर करनी शुरू करदी और सरकार ने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया। आज इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और जो हमारी कल्याण योजनाएं हैं और जो बफर स्टॉक हमारा होना चाहिए, तो 2005-2006 की तुलना में अभी तक 52.57 लाख टन की कम वसूली हुई है। जो क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 52.87 लाख टन की गेहूं की बफर स्टॉक के लिए कम वसूली हुई है, तो इसकी पूर्ति के लिए आपका क्या प्रयास होगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, कल इसी विषय पर सदन में 4 घंटे तक चर्चा हुई थी ...(व्यवधान)...आप मेरी बात तो सुन लीजिए। उसमें अधिकांश प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, वे कॅवर हो गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: सर, मैं ...(व्यवधान)... जो खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सर, यह बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए चार घंटे की बहस भी कम है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: सर, कल चार घंटे की बहस हुई है, कल मैं यहां उपस्थित नहीं था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी, आप जबाव दे दीजिए।

श्री शरद पवार: सर, इसमें दो इश्युज हैं। एक पहला इश्यु यह है कि एक जिम्मेदारी सरकार की है कि जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय की है, इसके नीचे प्राइस लेवल जायेगी, तो मार्केट में ऐंटर करके, वह माल खरीदकर डिस्ट्रैस सेल से किसानों को बचाना है। साथ ही साथ दूसरी बात यह भी है कि जब मिनीमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कीमत जाती है, तो किसानों को अधिकार है कि वह किसको अपना माल बेचें। पिछले साल तक इस देश की स्थिति अलग थी और इस साल से परिस्थिति में बदलाव हुआ है। बदलाव ऐसे हुए है कि till last year, there was an Act, Agricultural Produce Market Committee Act, which was practically available in each and every State of the country एपीएमसी एक्ट के मुताबिक किसानों को अपनी उपज मंडी में जो एमीएमसी की मंडी हैं, उनमें ही बेचने का अधिकार था और उसे खरीदने का अधिकार,वहां का जो लाइसेंस था, आढ़तिया या परचेजर थे, उनका अधिकार था, इसमें बदलाव किया गया है। चार-पांच साल पहले एक model Agricultural Produce Act का इस देश में प्रारूप बनाया, उसको देश के सभी राज्यों को भेजा गया और सभी राज्यों को यह सूचना दी गई कि आप अपने राज्य के एपीएमसी एक्ट मे बदलाव करिये और इस बदलाव में

किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार होना चाहिए, इस तरह तरह के सुधार करिये और राज्य की रेस्ट्रेक्शन निकालिये। Last year, there were 18 States. They have taken the decision to amend APMC Act and there are three States - Punjab, Haryana and Uttar Pradesh कि उन्होंने administrative order निकाले और इस administrative के मुताबिक किसानों को कहीं भी अपनी उपज बेचने का अधिकार दिया। इससे फर्क यह हो गया कि मार्केट में माल नहीं गया, क्योंकि जो हमारी कीमत थी, इससे ज्यादा कीमत देने के लिए चाहे ट्रेडर्स हों या कम्पनीज़ हों, वे देसी कम्पनीज़ हों या विदेशी कम्पनीज़ हों, ये लोग आ गये। जब हमारी कीमत 650 रुपये थी, जो उन्होंने 675 से परचेजिंग शुरू की, गई जगह पर 700 रुपये की कीमत पर खरीददारी की, मध्य प्रदेश की मेरे पास रिपोर्ट है कि 800 रुपये तक भी परचेजिंग की गई। मैं किसानों को रोक नहीं सकता, अगर उनको मिनीमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत मिलती है, तो उनको माल बेचने का अधिकार है, कहीं भी माल बेचने का अधिकार है।

जहां तक पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम की जिम्मेदारी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर हम पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम की जिम्मेदारी लेते समय not at the cost of farming community, किसानों का जो अधिकार है, वह अधिकार उनका होना ही चाहिए, मगर हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि हम बेचने के लिए कोई रास्ता नहीं रखेंगे, उसको कम्पलशन करेंगे, उसको कम्पलशन करेंगे कि आपको यहां ही बेचना चाहिए, उनको हम कम्पलशन करेंगें कि सिर्फ एफसीआई को बेचना चाहिए, ऐसा करने से भले ही हमको माल मिलेगा, भले ही हम पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन की जिम्मेदारी सम्भालेंगे, मगर not from Government money. This is from farmers' money, and that is why, we have taken the decision कि भाई किसानों को पैसा मिलता है, तो मिलने दीजिए। जहां तक गैप का सवाल है, वह गैप भले ही हम इम्पोर्ट से या डोमैस्टिक मार्केट से लाकर पूरा करेंगे, मगर पूरे देश के पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन की जिम्मेदारी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। पूरे देश में, जहां कहीं भी गेहूं की आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है, वह पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम में हम पूरी तरह से एवेलेबल करेंगे।

श्रीमती वृंदा कारत: माननीय सभापति जी ...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय वोरा जी का क्वेश्चन है। इनको सैकंड सप्लीमंट्री क्वेश्चन पूछना है, मैं इनको बीच में कैसे रोक सकता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा: माननीय मंत्री जी, चिंता इस बात की है कि जितना आपका बफर स्टॉक होना चाहिए, उसमें 52 लाख टन की कमी है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की पूर्ति के लिए क्या आपके पास पर्याप्त अनाज है? इस बफर स्टॉक की कमी को पूरा करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं?

श्री शरद पवार: महोदय, इसमें तीन बातें हैं। पहला, रिक्वायरमेंट जो है, is somewhere around 140 lakh tonnes. मेरे पास 150 लाख टन गेहूं का माल है। इस साल एक और अच्छी बात हुई कि हमारे पास जो पैडी का प्रोक्योरमेंट है, वह पिछले कई सालों में नहीं हुआ था, इतना अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ है। आज तक हमेशा हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पैडी का प्रोक्योरमेंट करते थे, इस साल डीसेंट्रलाइज्ड मैनर पैडी का प्रोक्योरमेंट करने के लिए सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है और छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और आन्ध्र प्रदेश - इन राज्यों ने हमें बहुत मदद की और वहां हमारे पास पैडी है। साथ-साथ कोर्स ग्रेन की प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की। मेरे पास दस लाख टन कोर्स ग्रेन भी ज्यादा है और अगले सीजन में भी हम कोर्स ग्रेन के लिए ज्यादा पैसे देंगे और ...(व्यवधान)... परचेज करेंगे।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, यह व्हीट का सवाल है...(व्यवधान)... सर, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं।

श्री सभापति: एक सवाल कैसे करवाऊं? क्वेश्चन ऑवर खत्म हो गया है।

श्री शरद पवार: फूड सिक्योरिटी की समस्या आती है। व्हीट, राइस, कोर्स ग्रेन मिलाकर ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Frame work for implementation of NRHM

†*505. SHRI BHAGWATI SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the features of the National Rural Health Mission and framework for implementation of this scheme;

(b) the details of allocation of 8,207 crore rupees given in the budget for this year 2006-07 item-wise;

(c) the details of role and training of the workers 'Asha';

(d) whether Government think that this programme would take us to success in achieving the target of health for all; and

(e) if so, the details of the strategy to be adopted to achieve the same?

---

†Original notice of the question was received in Hindi.